कार्यालय वन वृत्त भोपाल

खेल परिसर, इंदिरा निकुंज, 74 बंगले, भोपाल

ई–मेल ccf.bpl@mp.gov.in, फोन न. (0755) 2674296 फैक्स (0755) 2674345

क्रमांक / राजस्व / 336 भोपाल, दिनांक 04 / 02 / 17

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(उत्पादन)
मध्य प्रदेश भोपाल

विषयः—वन अपराध प्रकरण कमांक / 4111 / 20 दिनांक 12 / 05 / 2013 रक्त चंदन प्रकरण में निर्वतन के संबंध में ।

संदर्भः—वनमंडलाधिकारी सामान्य औ0गंज का पत्र कमांक / सामान्य / 139 दिनांक 18 / 01 / 2017

——000———

निवेदन है कि संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें । (छायाप्रति सहपत्रों सहित संलग्न है) प्रकरण में जप्त रक्त चंदन के निर्वतन किये जाने के संबंध में कार्यवाही की जाना है इस संबंध में आपके पत्र कमांक / उत्पा. / 3615 दिनांक 09 / 12 / 16 द्वारा दिये गये निर्देशों के तारतम्य में विधिवेता का अभिमत प्राप्त किया गया जिसकी छायाप्रति संलग्न है विधिवेता द्वारा दिये गये अपने अभिमत में लेख किया है कि राजसात संपत्ति के संबंध में निर्वतन की प्रकिया करने हेतु विधिक रूप से वन विभाग के सक्षम अधिकारी को कोई वाधा दृष्टिगोचर नही होती । (छायाप्रति संलग्न है)

उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पत्र कमांक / एफ–30–02 / 2015 / 10–3 दिनांक 06 / 08 / 2015 के अनुसार मध्यप्रदेश में जप्तशुदा लाल चंदन को आंध्रप्रदेश वन विभाग को भेजने के संबंध मे लेख है । (छायाप्रति संलग्न है)

कृपया प्रकरण मे आवश्यक मार्गदर्शन देने की कृपा करे कि उक्त जब्तशुदा लाल चंदन कहाँ भेजा जाये तथा इस हेतु आंध्रप्रदेश के किन अधिकारियों / डिपो से संपर्क किया जावे।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

मुख्य वन संरक्षक
भोपाल वृत्त भोपाल

पृ.क्रमांक / राजस्व / 337 भोपाल, दिनांक 4 / 02 / 17

प्रतिलिपिः— वनमंडलाधिकारी सामान्य औ0गंज की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

मुख्य वन संरक्षक
भोपाल वृत्त भोपाल